

श्री चन्द्रजीत सिंह, कार्यपालक दण्डाधिकारी, धनबाद अनुमंडल।

एम0पी0वाद सं0.....816/18 /


कार्य-107-80-88-18

03-03-19

अभिलेख राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थापित।

अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उभयपक्ष लगातार अनुपस्थित है। ऐसा प्रतीत होता है कि उभयपक्षों को इस कार्यवाही में अभिरूचि नहीं है तथा दोनों पक्षों के बीच अशांति व्याप्त नहीं है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में इस वाद की वर्तमान कार्यवाही^{समाप्त}.....की जाती है।


पीठासीन पदाधिकारी,
राष्ट्रीय लोक अदालत,
धनबाद अनुमंडल।